न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्वेता चौहान आई.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
179/2013 प्रार्थना पत्र	29.04.2013	17.03.2020

उनवान

श्यामसुन्दर पिता भंवर लाल शर्मा निवासी शाहपुरा, तह0 शाहपुरा जिला भीलवाडा
– प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा, जिला भीलवाडा
– पेरोकार सरकार

अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0

उपस्थित :– 1. श्री दुर्गालाल राजौरा – अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :– प्रार्थी में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 विरूद्ध विपक्षी के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम समेलिया पटवार हल्का समेलिया तहसील शाहपुरा में प्रार्थी के खाते व कब्जे की कृषि भूमि आराजी नम्बर 1903 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 1920 रकबा 0.44 हैक्टेयर, 1921 रकबा 0.68 हेक्टेयर, 1923 रकबा 1.26 हैक्टेयर, कुल किता 04 कुल रकबा 2.54 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि से लगी हुई कृषि भूमि आराजी नम्बर 1922 रकबा 0.74 हैक्टेयर, 1924 रकबा 0.35 हैक्टेयर, 1939/2170 व 1902 कुल किता 04 रकबा 4.92 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में बिलानाम दर्ज है। मौके पर 30 सालों से प्रार्थी का कब्जा व काश्त निरन्तर चला आ रहा है। प्रार्थी ने काफी रूपये खर्च करके कृषि भूमि को उपजाऊ बनाया व उसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ मिट्टी का डोल डलवाया। विपक्षी द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस दिये जिसका जवाब भी प्रार्थी द्वारा दिया गया। प्रार्थी का प्रथम दृष्टव्या प्रकरण है सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है, यदि विपक्षी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द नही किया गया तो प्रार्थी को भारी अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसका मूल्याकंन किया जाना संभव नही होगा। अतः ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में विपक्षी के खिलाफ इस आशय की प्रदान की जावें कि प्रार्थी की पेरा संख्या 03 में वर्णित कृषि आराजियात के शान्तिपूर्वक उपयोग, उपभोग व काश्त करने में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करें, न ही किसी तरह से बेदखल करे व करावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 16.07.2013 को विपक्षी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। दिनांक 19.01.2016 को पेरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसकी नकल अभिभाषक प्रार्थी को दी गई। जवाब में पेरोकार सरकार द्वारा बताया कि सरकारी भूमि में अतिक्रमण अतिचारी की परिभाषा में आता है, जिसके तहत धारा 91 की कार्यवाही की गई है। बिलानाम भूमि का आवन्टन नियम 1970 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ही किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें। दिनांक 04.03.2020 को बहस उभय पक्ष सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी पर 30 सालों से कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

सन् 2010 में प्रार्थी के नाम नियमन किये जाने की अनुशंषा भी विपक्षी द्वारा की जा चुकी है। अतः कब्जे के आधार पर प्रार्थी खातेदार घोषित होने का अधिकारी है। विपक्षी प्रार्थी की कब्जेशुदा भूमि को अन्य व्यक्तियों को न आवन्टन करवाये या चारागाह भूमि में परिवर्तित न करवाये, इसलिए विपक्षी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में बताया कि आराजी बिलानाम दर्ज है। प्रार्थी ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है। बहस पर मनन एव प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निरतारण हेतु 03 विधिक बिन्दुओं पर विवेचन किया जाना आवश्यक है।

1. **प्रथम दृष्टव्या प्रकरण** – जमाबन्दी की फोटोप्रति ग्राम समेलिया पटवार हल्का समेलिया सम्वत् 2064 से 2067 अनुसार खसरा संख्या 1902 रकबा 2.42 हैक्टेयर, 1922 रकबा 0.74 हैक्टेयर, 1924 रकबा 0.35 हेक्टेयर, बिलानाम काबिल काश्त दर्ज रिकॉर्ड है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण करने से उसके अधिकार उत्पन्न नही होते है। प्रार्थी कब्जे के आधार पर खातेदार घोषित होने का अधिकारी है या नही यह निर्णय मूल वाद में होगा। अतः प्रथम दृष्टव्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नही बनता है।
2. **अपूर्तनीय क्षति का सिद्धान्त** :– वादग्रस्त आराजियात का प्रार्थी खातेदार काश्तकार नही होने से उसे बेदखल करने पर किसी प्रकार की क्षति नही होगी। अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में नही बनता है।
3. **सुविधा सन्तुलन** :– उपरोक्त दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नही होने से सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नही बनता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज किया जाना उचित समझता हूं।

–::आदेश ::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 विरूद्ध विपक्षी के तीनों विधिक बिन्दुओं के आधार पर सिद्ध नही होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(श्वेता चौहान)
आई0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाड़ा)
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner